कृषक उपहार योजना

किसानों को नियमित आधार पर अपनी बेची हुई फसल के रिकॉर्ड सबूत के तौर पर सम्बन्धित आढ़ती/आढ़तियों से 'जे-फार्म' लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उपहार योजना को आरम्भ किया गया। इसलिए मार्किट कमेटी एवं राज्य स्तर पर उन किसानों को, जो कृषि उपज के विक्रय उपरान्त आढ़तिया से 'जे-फार्म' प्राप्त करेंगे, कृषक उपहार योजना के तहत पुरस्कार वितरित किए जाऐंगे।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होंगी :–

1 यह योजना समर्थन मूल्य व गैर–समर्थन मूल्य की सभी फसलों, जैसे कि गेहूं, जीरी, कपास, तिलहन, दालें, बासमती धान एवं अन्य फसलें जो कि चाहे वह सरकार द्वारा खरीदी जा रही हो या प्राईवेट द्वारा सभी पर लागू होगी।

2 जो किसान अपनी कृषि उपज को आढ़ती के पास बेच कर जे फार्म लेकर वास्तव में उसको दर्ज कराता है वह इस योजना में लाभ का पात्र होगा ।

3 उपहार कूपन जारी करने से पहले सचिव, मार्किट कमेटी ''जे'' फार्म में वर्णित कृषि उपज की जांच एच रजिस्टर से करेगा या आढ़ती से ''जे'' फार्म सत्यापित करवाया जाना आवश्यक है ।

4 इस ड्रा में शामिल होने के लिए उपहार कूपन निम्न प्रकार से जारी किए जाऐंगे :–

i)	10,000/– रुपये तक की कृषि उपज की बिक्री पर जारी एक जे फार्म पर	एक कूपन
ii)	प्रत्येक 10,000/– रुपये तक की कृषि उपज की बिक्री पर उपहार कूपन उसी अनुपात में जारी किए जायेगे अर्थात् 20,000/– रुपये के लिए 2 कूपन और 1,00,000/– रुपये के लिए 10 कूपन और इसी तरह आगे ।	

5 इन कूपनों की तीन काउंटर फाईल (मुख्य उपहार कूपन सहित) तैयार की जायेंगी। मुख्य उपहार कूपन किसान को दिया जायेगा। एक काउंटर फाईल मार्किट कमेटी स्तर पर तथा दूसरी राज्य स्तरीय ड्रा के लिए प्रयोग की जायेगी। तीसरी काऊंटर फाईल मार्किट कमेटी के रिकॉर्ड में रहेगी।

6 इस योजना के तहत आने वाले सभी खर्चों का वहन माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की अनुमति के अनुसार ह0रा0कृ0वि0 बोर्ड व एच0आर0डी0एफ0 बोर्ड द्वारा 50:50 के अनुपात से किया जाएगा।

उपहारों का विवरण:

यह योजना रबी व खरीफ सीजन के समर्थन मूल्य व गैर–समर्थन मूल्य की सभी फसलों, जैसे कि गेहूं, जीरी, कपास, तिलहन, दालें, बासमती धान एवं अन्य फसलें जो कि चाहे वह सरकार द्वारा खरीदी जा रही हो या प्राईवेट द्वारा सभी पर लागू होगी।

प्रथम चरण (01.01.2019 से 30.06.2019 तथा दुसरा चरण 01.07.2019 से 31.12.2019 तक) प्रथम चरण के उपहारों का विवरण नीचे दिया गया है तथा दुसरे चरण में भी इतने ही उपहार वितरित किए जाऐंगें।

1. इस योजन के तहत 88 ट्रैक्टर व 88 ट्रैक्टर ट्रॉली (प्रत्येक जिले में 4) राज्य स्तरीय उपहार के रूप में दिए जाऐंगें।
2. इस योजना के तहत 150 हैप्पीसीडर ज्यादातर धान की आवक वाली मण्डियों को ही दिए जाऐंगें।
3. इस योजना के तहत 94 रोटावेटर उन मण्डियों को ही दिए जाऐंगें जहां धान की आवक कम या नहीं होती।
4. इस योजना के तहत 1440 साईकिल मार्केट कमेटी की आय व श्रेणी के अनुसार वितरित की जाऐंगीं।
5. इसके अतिरिक्त विशेष योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 54 ई–नेम मण्डियों में 30 मोटरसाइकिल (10 किसानों, 10 आढ़तियों तथा 10 मार्केट कमेटी से संबंधित अधिकारियों) जो ज्यादातर किसानों को ऑनलाईन डायरेक्ट पेमेंट करवाने में सहयोग करेंगें को दिए जाऐंगें तथा दूसरे पुरस्कार के रूप में 540 साइकिल (प्रत्येक ई–नेम मण्डी में 10) से संबंधित कर्मचारियों को दी जाऐंगीं जो ज्यादातर किसानों को ऑनलाईन डायरेक्ट पेमेंट करवाने में सहयोग करेंगें।

ड्रॉ कूपन के लिए नियम व शर्तें

1. सभी तरह के ''ड्रॉ'' मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल, पंचकूला द्वारा निर्धारित स्थान, तय तिथि व वर्णित कमेटी द्वारा निकाला जाएगा।
2. इस योजना में केवल किसान (जो केवल कृषि का ही काम करता हो) को ही उपहार वितरित किए जाऐंगें। कोई भी कर्मचारी (बोर्ड व कमेटी)/आढ़ती/व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाऐंगें।
3. यह योजना मुख्यतः केवल हरियाणा राज्य के किसानों के लिए है। किसान हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा कृषि भूमि हरियाणा राज्य में ही होनी चाहिए।
4. इस योजना के उपहार किसी किसान के एक या एक से अधिक निकलते हैं तो केवल एक बढ़ा उपहार ही किसान को दिया जाएगा।
5. निकाले गए उपहार कूपनों के नम्बर और सफल कृषक व्यक्तियों के नाम ''ड्रॉ'' रजिस्टर में लिखे जाऐंगें और इस पर सफल कृषक के हस्ताक्षर भी करवाए जाऐंगें।
6. उपहार प्राप्त करने के ''ड्रॉ'' में सफल व्यक्ति के नाम को बोर्ड / मार्किट कमेटी द्वारा घोषित करने के 45 दिन के अन्दर–2 अपना क्लेम ''जे'' फार्म मुख्य कूपन सहित संबंधित मार्किट कमेटी में स्वयं उपस्थित होकर देना होगा।
7. योजना के अन्तर्गत ''जे'' फार्म प्राप्ति के 7 दिन तक कृषक अपना उपहार कूपन मार्किट कमेटी से ले सकेंगें।
8. ''जे'' फार्म एवं मुख्य कूपन कटा–फटा और जोड़ लगा नहीं होना चाहिए।
9. मार्किट कमेटी के स्तर पर पुरस्कार से संबंधित ''ड्रॉ'' और ईनाम कूपन देने तक उठाए गए विवाद का निपटारा ''ड्रॉ'' सब–कमेटी करेगी।
10. राज्य स्तर पर पुरस्कार से संबंधित विवाद का निपटान मुख्य प्रशासक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
11. इन कूपनों पर यदि कोई विवाद होता है तो उसका कानूनी अधिकार क्षेत्र केवल पंचकूला न्यायलय ही होगा।
12. कूपन ड्रॉ की तिथि में बदलाव करने का विशेष अधिकार हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास हैं।
13. इस योजना के तहत दिए जाने वाले उपहारों की संख्या कूपनों की संख्या के हिसाब से कम या ज्यादा करने का अधिकार मुख्य प्रशासक ह0रा0कृ0वि0 बोर्ड के पास होगा।